दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 12.01.2024
उद्घोषित: 19.01.2024

रि.या. (आप.) 336/2023

मकसूद अहमद ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री श्याम कुमार, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजीव भंडारी, राज्य के लिए अति.स्था.अधि. सह श्री कुणाल मित्तल, श्री अरिजीत शर्मा और सुश्री ऋषिका, अधिवक्तागण और उप.नि. मंजू और उप.नि. नीलम, पुलिस थाना जीटीबी एन्क्लेव सह अभियोजक/प्रत्यर्थी सं. 2.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय की विषय सूची</u>

अवलोकन.....3

मामले का तथ्यात्मक इतिहास.....4

अतीत की पुलिस और न्यायिक कार्यवाहियों का इतिहास.....5

परस्पर विरोधी प्रतिवाद.....8

अभियोजन पक्ष और याचिकाकर्ता के बीच विवाद का मुद्दा.....9

समुदाय की समग्र भलाई के लिए न्यायिक नोटिस जारी करना अनिवार्य करने वाले मुद्दे.....9

समझौते के आधार पर प्राथमिकियों को अभिखंडित करने के सिद्धांत और न्यायालयों की भूमिका.....10

पहली न्यायिक त्रुटि: दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत विवेकहीन रूप से दर्ज बयान.....15

दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान दर्ज करने का महत्व.....17

यौन उत्पीड़न पीड़ितों के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के संबंध में दिशानिर्देश.....21

दूसरी न्यायिक त्रुटि.....25

प्रेम, विधि, झूठ और मुकदमेबाजी.....26

2012 में निष्पादित किया गया कथित समझौता विलेख.....27

अभियोक्त्री की ओर से दुर्भावना.....28

अभियुक्त द्वारा प्राधिकारियों के समक्ष सही तथ्य उजागर न करना.....30

न्यायिक प्रणाली के पास निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से पहुँचने वाले पक्षकारगण का महत्व.....31

ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि सुश्री एम ने श्री पी से विवाह विच्छेद कर लिया था और इस प्रकार वह इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी अभियुक्त के साथ विवाह करने में सक्षम थी.....32

केवल विवाह के प्रयोजन से किए गए धार्मिक संपरिवर्तनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय की चिंताएँ.....33

भारत में न्यायालयों ने किसी भी धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति की पसंद की धार्मिक पवित्रता को निष्ठापूर्वक ढंग से निर्देशित किया है.....33

केवल अंतर-धार्मिक विवाहों के अनुष्ठान के प्रयोजन से धार्मिक संपरिवर्तनों में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू.....39

1. सूचित सहमति और समझ:.....39

2. मूल भाषा में संवाद:.....40

3. धर्म संपरिवर्तन के विधिक निहितार्थों की व्याख्या: उत्तराधिकार और विरासत, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा, धर्म संपरिवर्तन के बाद पति या पत्नी के व्यक्तिगत विधि के अधिकार.....41

4. अंतर-धार्मिक विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन के धार्मिक दुष्परिणाम:.....42

5. धर्म संपरिवर्तन के बाद विवाह में वैवाहिक परिणाम:.....43

6. भावी पति-पत्नी की पहचान का सत्यापन:.....44

7. वैवाहिक इतिहास के लिए शपथ-पत्र:.....44

8. मूल धर्म की ओर लौटने की गुंजाइश:.....45

दिशा-निर्देश.....45

सावधानी टिप्पण.....46

निष्कर्ष.....47

निर्णय.....49

<u>अवलोकन</u>

1. इस मामले के कुछ तथ्यों और घटनाओं की **विचित्रता** ने, जो इस न्यायालय के समक्ष आई हैं, इस न्यायालय को अनेक मुद्दों पर विचार करने के लिए बाध्य किया है, जिन पर एक ही मामले में विचार करने की आवश्यकता थी।

2. इनमें से एक मुद्दा यह है **कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रेम और उसके परिणामस्वरूप विवाह हमेशा भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज मामले के विरुद्ध पर्याप्त बचाव है या नहीं,** जिसका उद्देश्य बिना विचारण के प्राथमिकी को अभिखंडित करना है।

3. **यह मामला एक ऐसी स्थिति भी प्रस्तुत करता है जो यह इंगित करता है कि कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ऐसे तथ्य और स्थितियाँ शामिल हैं जिनके लिए विधानमंडल ने भी योजना नहीं बनाई थी, जिससे याचिका में ऐसे प्रश्न और मुद्दे उठेंगे जो पहले किसी न्यायालय में नहीं आए होंगे या जिन पर पहले विचार नहीं किया गया होगा।**

<u>मामले का तथ्यात्मक इतिहास</u>

4. मामले के तथ्य, वास्तव में क्या घटित हुआ और इस मुद्दे पर विवाद, साथ ही इस मामले का प्रक्रियात्मक इतिहास, जिसे आदर्श रूप से अपीलीय या रिट न्यायालय द्वारा निर्णय में न्यूनतम रखा जाना चाहिए, इस मामले में, आवश्यकता के अनुसार, उचित विस्तार से वर्णित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे इस मामले का निर्णय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

5. वर्तमान रिट याचिका, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (*दं.प्र.सं.*) की धारा 482 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें प्राथमिकी सं. 439/2022 को अभिखंडित करने की माँग की गई है, जो पुलिस स्टेशन जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 376/506 के अंतर्गत अपराध के लिए दर्ज की गई है, जो अभियुक्त/याचिकाकर्ता श्री मकसूद अहमद और अभियोक्त्री/प्रत्यर्थी सं. 2 सुश्री 'एम' द्वारा प्रस्तुत **परस्पर विरोधी कहानियों पर केंद्रित** है। प्रत्यर्थी सं. 2 की कहानी में जबरन यौन उत्पीड़न की बात कही गई है, जबकि याचिकाकर्ता का यह विरोधाभासी मत है कि यह सहमति से बना लिव-इन यौन संबंध था।

अतीत के पुलिस और न्यायिक कार्यवाहियों का इतिहास

6. पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराते समय अभियोक्त्री सुश्री 'एम' द्वारा बताई गई कहानी यह थी कि वह एक विवाह विच्छिन्न स्त्री और दिव्यांग व्यक्ति है, जो श्री मकसूद अहमद को कई वर्षों से जानती थी क्योंकि वह उसके पूर्व पति का मित्र था, और वह उसके घर आता-जाता था। सुश्री 'एम' के

अनुसार, 24.09.2022 को शाम लगभग 6 बजे, श्री मकसूद उसके घर आया था और उससे खाना बनाने के लिए कहा था। उसके अनुरोध पर सुश्री 'एम' ने उसके लिए खाना बनाया था और इस बीच, श्री मकसूद उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। सुश्री 'एम' ने आरोप लगाया कि श्री मकसूद ने उसे कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और इसके बाद उसे चक्कर आने लगे थे, क्योंकि श्री मकसूद ने पेय में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर उसने सुश्री 'एम' के साथ बलात्कार किया और जब वह लगभग 9:30 बजे होश में आई तो उसने पाया कि श्री मकसूद उसके ऊपर नग्न अवस्था में लेटा हुआ था और अभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। सुश्री 'एम' द्वारा आगे प्रकटीकरण किया गया कि जब उसने श्री मकसूद से बात की और उसे डाँटा तो उसने पहले तो अपने कृत्य के लिए क्षमा माँगी, लेकिन बाद में उसने सुश्री 'एम' को धमकी दी कि वह घटना के बारे में पुलिस को न बताए, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसके साथ बलात्कार करने और उसे धमकियाँ देने के बाद, श्री मकसूद भाग गया था। यद्यपि यह घटना 24.09.2022 को घटित हुई बताई जाती है, सुश्री 'एम' का कहना है कि वह 27.09.2022 तक घटना के बारे में किसी को सूचित करने की स्थिति में नहीं थी, तब उसने अंततः महिला हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया और परामर्शदाता से साहस मिलने के बाद, उसने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया, जिसके कारण 18.10.2022 को वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

7. याचिकाकर्ता श्री मकसूद अहमद ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका पर विचार के समय उपस्थित होकर एक अलग कहानी बताई। उसकी कहानी का पक्ष यह था कि वह वर्ष 2007 से सुश्री 'एम' के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में था, और 18.04.2012 को उनके बीच एक समझौता विलेख निष्पादित किया गया था। हालाँकि, श्री मकसूद के वर्णन के अनुसार, वह और सुश्री 'एम' छह महीने बाद फिर से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे थे, और चूँकि उन दोनों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, इसलिए अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने उसके विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालाँकि, उसने न्यायालय को सूचित किया कि 28.10.2022 को, उसने मुस्लिम रीति-रिवाजों और अधिकारों के अनुसार अभियोक्त्री के साथ विवाह किया था।

8. संक्षेप में, इस मामले में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का इतिहास निम्नानुसार है:

i. कथित घटना दिनांक 24.09.2022 को घटित हुई थी।

ii. प्राथमिकी 18.10.2022 को दर्ज की गई थी।

iii. अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने श्री मकसूद के साथ विवाह के प्रयोजन से 28.10.2022 को इस्लाम धर्म अपना लिया और दोनों पक्षकारगण का *निकाहनामा* उसी तिथि पर संपन्न हुआ।

iv. अभियुक्त को दिनांक 18.11.2022 को गिरफ्तार किया गया।

v. पक्षकारगण विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, तथा दिनांक 23.11.2022 के आदेश के अनुसार, पक्षकारगण के बीच समझौता तथा विवाह के आधार पर अभियुक्त को अंतरिम जमानत प्रदान की गई। शुरू में, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए याचिका दायर करने के प्रयोजन से अपने विवेक से अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी।

vi. वर्तमान याचिका 19.12.2022 को दायर की गई थी, जिसमें अभियोक्त्री द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच हुए विवाह के आधार पर वर्तमान प्राथमिकी को अभिखंडित करने की माँग की गई थी।

vii. दिनांक 13.12.2022 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त की अंतरिम जमानत 20.12.2022 तक बढ़ा दी गई।

viii. दिनांक 20.12.2022 को, अभियोक्त्री की इस प्रस्तुति पर विचार करने के बाद कि उसने किसी गलतफहमी के कारण वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई थी, अभियुक्त की अंतरिम जमानत को फिर से एक महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

ix. सत्र न्यायालय द्वारा 21.01.2023 को अंतरिम जमानत को 28.01.2023 तक, फिर 07.02.2023 तक और फिर 25.02.2023 तक बढ़ा दिया गया।

x. दिनांक 25.02.2033 को, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि अभियोक्त्री ने स्वीकार किया था कि उसने वर्तमान प्राथमिकी के पंजीकरण के बाद अभियुक्त से विवाह किया था और पक्षकारगण ने पहले ही इस न्यायालय के समक्ष एक अभिखंडन याचिका प्रस्तुत की थी।

xi. भारतीय दंड संहिता की धारा 376/328/506 के अंतर्गत अपराध के लिए जाँच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया।

xii. विद्वान सत्र न्यायालय ने 10.08.2023 को श्री मकसूद के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376/328/506 के अंतर्गत अपराध करने के लिए आरोप विरचित किया।

<u>परस्पर विरोधी प्रतिवाद</u>

9. अभियुक्त/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मकसूद ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 सुश्री 'एम' ने पहले ही अपने विवादों को सुलझा लिया है, और वे अब विधिक रूप से विवाहित हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 के याचिकाकर्ता के धर्म में संपरिवर्तन के बाद 28.10.2022 को पक्षकारगण का विवाह/निकाह संपन्न किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि 18.11.2022 को याचिकाकर्ता को वर्तमान प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि, 23.11.2022 को, उसे पक्षकारगण के बीच समझौता और

विवाह के आधार पर विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत भी दी गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2, प्रत्यर्थी सं. 2 के पहले पति से उत्पन्न बच्चों के साथ विवाह के दिन से ही पति-पत्नी के रूप में खुशी-खुशी रह रहे हैं। इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज वर्तमान प्राथमिकी को सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ अभिखंडित कर दिया जाए क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

10. राज्य के विद्वान अति.स्था.अधि. ने वर्तमान याचिका का पुरज़ोर विरोध किया है, तथा तर्क दिया है कि वर्तमान याचिका विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है तथा प्राथमिकी में परिवादी के विरुद्ध गंभीर आरोप उजागर हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि वह एक विवाह विच्छिन्न स्त्री तथा दिव्यांग है, जिसका अभियुक्त ने इस तथ्य का फायदा उठाकर यौन उत्पीड़न किया कि वह उसके पूर्व पति का मित्र था।

11. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण तथा राज्य की ओर से विद्वान अति.स्था.अधि द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने हैं। इस न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी परिशीलन किया गया है तथा उस पर विचार किया गया है।

<u>अभियोजन पक्ष और याचिकाकर्ता के बीच विवाद का मुद्दा</u>

12. वर्तमान मामले में विचारणीय मुद्दा यह है:

क्या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जहाँ अभियुक्त और अभियोक्त्री ने मामले में समझौता कर लिया है और एक-दूसरे से विवाह कर लिया है, भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी को अभिखंडित करने की याचिका पक्षकारगण के आचरण को ध्यान में रखते हुए सफल होने योग्य है?

<u>समुदाय की समग्र भलाई के लिए न्यायिक नोटिस जारी करना अनिवार्य करने वाले मुद्दे</u>

13. इस याचिका की सुनवाई से **याचिका से संबंधित और असंबंधित कई प्रश्न सामने आए, जो न्यायिक न्यायनिर्णयन, निष्पक्षता, समानता, शुद्धता और न्यायिक प्रणाली की मज़बूती के व्यापक सरोकार को प्रभावित करते हैं, ताकि उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ जा सके और उच्चतम स्तर से न्यायिक प्रणाली में हेरफेर, गुमराह करने और धोखा देने** तथा इसके पास आने वाले पक्षों द्वारा दांडिक उपबंधों को देखा जा सके, ताकि समुदाय का विश्वास न्यायिक प्रणाली से कभी भी डगमगा न सके।

14. निम्नलिखित मुद्दों ने इस न्यायालय की न्यायिक अंतश्चेतना को आलोचनात्मक परीक्षण करने तथा निर्देश और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए बाध्य किया है, जो दांडिक मामलों के न्यायसंगत और समतापूर्ण

न्यायनिर्णयन तथा दांडिक न्याय प्रणाली की विशुद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं:

क. दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने का महत्व।

ख. न्यायिक प्रणाली के पास निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से पहुँचने वाले पक्षकारगण का महत्व

ग. केवल अंतर-धार्मिक विवाह के प्रयोजन के लिए किसी एक पक्ष का धर्म संपरिवर्तन

घ. केवल अंतर-धार्मिक विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन कराने वाले संबंधित प्राधिकारियों की जटिल भूमिका:

ङ. केवल अंतर-धार्मिक विवाह के प्रयोजन से किए जाने वाले धार्मिक संपरिवर्तन के मामले में पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता।

च. विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले कक्षीकार या परिवादी से कैसे निपटा जाए।

<u>समझौते के आधार पर प्राथमिकी अभिखंडित करने के सिद्धांत और न्यायालयों की भूमिका</u>

15. जैसा कि ऊपर चर्चा में बताया गया है, श्री मकसूद और सुश्री 'एम' ने भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को अभिखंडित करने की माँग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस प्रकार, इस न्यायालय को समझौते के आधार पर प्राथमिकी को अभिखंडित करने की माँग करने वाली ऐसी याचिकाओं का न्यायनिर्णयन करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहना चाहिए, जो संवैधानिक न्यायालयों को शासित करते हैं।

16. इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने ***नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य*** *(2014) 6 एससीसी 466* के मामले में, ***ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य*** *(2012) 10 एससीसी 303* के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

> "29. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षकारगण के बीच समझौते को पर्याप्त उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते समय और कार्यवाही को अभिखंडित करते समय या दांडिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते समय संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में निर्देशित होगा:
>
> 29.1. संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति को संहिता की धारा 320 के अंतर्गत अपराधों का शमन करने के लिए न्यायालय में निहित शक्ति से विलग किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को उन मामलों में भी दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, जो शमनीय नहीं हैं, जहाँ पक्षकारगण ने आपस में मामला सुलझा लिया है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक एवं सावधानी से किया जाना चाहिए।
>
> 29.2. जब पक्षकारगण समझौते पर पहुँच जाते हैं और उस आधार पर दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक: (i) न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित

करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना होगा। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होगी।

29.3. **ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाएगा जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते तथा समाज पर इनका गंभीर प्रभाव पड़ता है।** इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के अंतर्गत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाएगा।

29.4. दूसरी ओर, वे दांडिक मामले जिनमें मुख्यतः सिविल प्रकृति के मामले हों, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हों या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हों, उन्हें तब अभिखंडित कर दिया जाएगा जब पक्षकारगण आपस में अपने संपूर्ण विवादों को सुलझा लें।

29.5. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को यह परीक्षण करना है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत दूर और धूमिल है और दांडिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को भारी उत्पीड़न और प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा और दांडिक मामलों को अभिखंडित न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।"

17. ***परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर बनाम गुजरात राज्य*** *(2017) 9 एससीसी 641* में, माननीय शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कई न्यायिक उदाहरणों का संदर्भ देने के बाद, समझौते के आधार पर दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया था:

"16. इस विषय पर पूर्व उदाहरणों से जो व्यापक सिद्धांत उभर कर सामने आए हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रतिपादनों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा:

16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह उपबंध नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में निहित हैं।

16.2. किसी प्राथमिकी या दांडिक कार्यवाही को इस आधार पर अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेना कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, किसी अपराध का शमन करने के प्रयोजन से अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेने के समान नहीं है। किसी अपराध का शमन करते समय न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के उपबंधों द्वारा शासित होती है। धारा 482 के अंतर्गत अभिखंडित करने की शक्ति तब भी लागू होती है, जब अपराध गैर-शमनीय हो।

16.3. धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी दांडिक कार्यवाही या शिकायत को अभिखंडित किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में राय बनाते समय उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित ठहराएँगे।

16.4. यद्यपि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा और प्रचुरता व्यापक है, फिर भी इसका प्रयोग (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

16.5. किसी शिकायत या प्राथमिकी को इस आधार पर अभिखंडित किया जाना चाहिए कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद सुलझा लिया है, इसका निर्णय अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विवरण तैयार नहीं किया जा सकता है।

16.6. धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय तथा इस अभिवाक् पर विचार करते समय कि विवाद का निपटारा हो गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। **मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से अभिखंडित नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद सुलझा लिया हो।** सचमुच, ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते, बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में विचारण जारी रखने का निर्णय, गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में जनहित के सर्वोपरि तत्व पर आधारित है।

16.7. गंभीर अपराधों से भिन्न, ऐसे दांडिक मामले भी हो सकते हैं जिनमें सिविल विवाद का तत्व अत्यधिक या प्रधान हो। जहाँ तक अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का प्रश्न है, वे एक अलग आधार पर खड़े होते हैं।

16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, भागीदारी या इसी प्रकार के अन्य लेन-देन से उत्पन्न अपराधों से संबंधित दांडिक मामले, जिनमें अनिवार्यतः सिविल स्वरूप होता है, उचित परिस्थितियों में अभिखंडित किए जा सकते हैं, जहाँ पक्षकारगण ने विवाद का समाधान कर लिया हो।

16.9. ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करेगा यदि विवादकर्तागण के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना बहुत दूर हो और दांडिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो; तथा

16.10. उपरोक्त प्रतिपादना 16.8. और 16.9. में निर्धारित सिद्धांत का एक अपवाद अभी भी है। राज्य की वित्तीय और आर्थिक कल्याण से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ, निजी विवादकर्तागण के बीच मात्र विवाद के दायरे से परे होते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उस स्थिति में विचारण अभिखंडित करने से इनकार करना न्यायसंगत होगा, जब अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुष्कर्म जैसी किसी गतिविधि में संलिप्त हो। जिस

> कृत्य के बारे में शिकायत की गई है उसके परिणाम वित्तीय या आर्थिक व्यवस्था पर भारी पड़ेंगे।"

18. इसलिए, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह रहा है कि बलात्कार के अपराध सहित गंभीर अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को पीड़ित और अभियुक्त के बीच हुए समझौते के आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए।

19. हालाँकि, यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि यह कोई अंतिम नियम नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को किसी भी मामले में समझौते के आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता। माननीय शीर्ष न्यायालय [*संदर्भ:* ***आनंदा डी.वी. बनाम राज्य*** *2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 3423*] और साथ ही उच्च न्यायालयों सहित संवैधानिक न्यायालयों ने यह विचार किया है कि ऐसे मामलों में जहाँ पीड़ित और अभियुक्त लंबे समय से संबंध में थे और किसी गलतफहमी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन यदि बाद में उन्होंने एक-दूसरे से विवाह कर लिया था और एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी रह रहे थे, तो ऐसी प्राथमिकी को व्यापक हित में और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभिखंडित किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में याचिकाओं को अभिखंडित करने के लिए न्यायनिर्णयन देते समय न्यायालयों को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा, जिसमें पक्षकारगण के बीच विवाह के

तथ्य से संबंधित तथ्य भी शामिल होंगे, और पक्षकारगण अधिकार के रूप में अभिखंडित करने की माँग नहीं कर सकते।

20. इस न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री पक्ष और अभियुक्त द्वारा दी गई परस्पर विरोधी कहानियों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, इस मामले ने कई न्यायिक त्रुटियों को भी उजागर किया।

<u>पहली न्यायिक त्रुटि: दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत विवेकहीन रूप से दर्ज बयान।</u>

21. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की कार्यवाही में, जाँच का प्रासंगिक बिंदु दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य के लिए विद्वान दंडाधिकारी के पास पहुँचा।

22. वर्तमान मामले में दुर्भाग्यवश, विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अभियोक्त्री से दो प्रश्न पूछे गए, जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी (इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार), तथा उसके दो बड़े बच्चे हैं, और वह दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान के अनुसार छठी कक्षा तक पढ़ी थी, तथापि, जिसने इस न्यायालय के समक्ष कहा कि वह अशिक्षित है तथा केवल हिन्दी में ही हस्ताक्षर कर सकती है।

23. आश्चर्य की बात है कि दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज करते समय विद्वान दंडाधिकारी निम्नलिखित लिखते हैं:

(कृपया अंग्रेजी निर्णय में मूल छवि देखें)

24. वर्तमान मामले में, दर्ज किया गया बयान टंकित प्रारंभिक *प्रारूप* में केवल औपचारिकता मात्र है। यह अजीब बात है कि हालाँकि दंडाधिकरी वास्तव में एक 40 वर्षीय महिला का परीक्षण कर रहे थे, जिसके दो बच्चे हैं, फिर भी उससे उसके पसंदीदा फल और पसंदीदा रंग के बारे में पूछा गया। हालाँकि, अजीब बात यह है कि विद्वान दंडाधिकारी लिखते हैं कि ये दोनों प्रश्न *"स्थानीय भाषा में गवाही देने की उसकी योग्यता की जाँच करने के लिए"* थे, लेकिन प्रश्न अंग्रेजी में टंकित प्रतीत होते हैं और उत्तर भी अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि विद्वान दंडाधिकारी अंग्रेजी में ये दो प्रश्न पूछकर अभियोक्त्री की बयान देने की योग्यता और स्थानीय भाषा बोलने और समझने की उसकी क्षमता का आकलन और जाँच कैसे कर रहे थे।

25. आज, जब इस बयान पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि यह गलतफहमी और दबाव में दिया गया था और वह तनाव में थी और विद्वान दंडाधिकारी के सामने गवाही देने में असमर्थ थी, तो यह न्यायालय कई ऐसे मामलों, जो चुनौती का विषय बन गए हैं, का उल्लेख करने के लिए बाध्य हुआ है और

इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न पीड़ित के बयानों को अभिलिखित करने के महत्व और दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

<u>दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान दर्ज करने का महत्व</u>

26. दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के पीड़ित का बयान दर्ज करने के महत्व को, सबसे पहले उपबंध के प्रासंगिक अंश को पढ़कर समझा जा सकता है:

> "(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई कथन (संस्वीकृति से भिन्न) साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो दंडाधिकारी की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो; तथा दंडाधिकारी को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।
>
> (5(क) (क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376 कख, 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा:
>
> परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानिसक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो दंडाधिकारी कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा:

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 137 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।"

27. माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना*** *(2014) 8 एससीसी 913* के मामले में दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के पीड़ित के बयान दर्ज करने से संबंधित मामलों में पालन किए जाने वाले कुछ निर्देश जारी किए थे, जो निम्नानुसार हैं:

"10. इस पर विचार करने के बाद, हमने हमारे समक्ष उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम पूरे देश के सभी पुलिस थाना प्रभारियों को इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए परमादेश के रूप में अंतरिम निर्देश जारी करते हैं जो निम्नानुसार हैं:

10.1. बलात्कार के अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, जाँच अधिकारी दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़ित का बयान दर्ज करने के उद्देश्य से उसे किसी महानगर/अधिमानतः न्यायिक दंडाधिकारी के पास ले जाने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान की एक प्रति तुरंत जाँच अधिकारी को सौंपी जाएगी, इस विशेष निर्देश के साथ कि दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत ऐसे बयान की सामग्री किसी भी

व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत आरोप पत्र/रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।

10.2. जाँच अधिकारी यथासंभव पीड़िता को निकटतम महिला महानगर/अधिमानत: महिला न्यायिक दंडाधिकारी के पास ले जाएगा।

10.3. जाँच अधिकारी विशिष्ट रूप से वह तिथि और समय दर्ज करेगा जब उसे बलात्कार के अपराध के बारे में पता चला तथा वह तिथि और समय दर्ज करेगा जब वह पीड़िता को ऊपर कहे अनुसार महानगर/अधिमानत: महिला न्यायिक दंडाधिकारी के पास ले गया।

10.4. यदि पीड़िता को दंडाधिकारी के पास ले जाने में 24 घंटे से अधिक का विलंब होता है, तो जाँच अधिकारी केस डायरी में इसके कारणों को दर्ज करेगा तथा उसकी एक प्रति दंडाधिकारी को सौंपेगा।

10.5. पीड़िता की चिकित्सीय जाँच: दं.प्र.सं. अधिनियम, 2005 के 25 के अंतर्गत धारा 164 क को दं.प्र.सं. में शामिल किया गया है, जो जाँच अधिकारी पर बलात्कार की पीड़िता की तुरंत चिकित्सा जाँच कराने का दायित्व अधिरोपित करता है। ऐसी चिकित्सा जाँच की रिपोर्ट की एक प्रति तुरंत दंडाधिकारी को सौंपी जाएगी जो दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज करता है।"

28. न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 164(5क) के अंतर्गत बलात्कार पीड़ित का बयान दर्ज करना जाँच का एक अनिवार्य भाग है, क्योंकि यह निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने में कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

29. यह सामान्य विधि है कि यौन अपराध के पीड़ित द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया गया बयान, बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित दंडाधिकारी को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग नहीं है। यदि दंडाधिकारी की यह राय बनती है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता, जो ऐसा बयान दे रही है, अस्थायी या स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो दंडाधिकारी बयान दर्ज करने में दुभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसी कार्यवाही की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

30. इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने वाले विद्वान दंडाधिकारी को दंडाधिकारी के कक्ष की चारदीवारी के भीतर पीड़िता के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना को लिखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी डर या दबाव के वास्तविक तथ्यों, घटना या घटित को प्रकट करने के लिए महसूस की गई सुरक्षा भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत एक मामले को सही दिशा दे सके। इस संबंध में, प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाने की एक प्रथा है, जो साक्षी और दंडाधिकारी के बीच बातचीत के रूप में होती है, ताकि साक्षी की योग्यता का पता लगाया जा सके, ताकि वह समझ सके कि वह कहाँ है, यह समझता हो कि वह न्यायाधीश के समक्ष क्यों है, तथा न्यायाधीश को यह आश्वासन मिल सके कि पीड़िता पर बयान देने के लिए कोई दबाव, जबरदस्ती नहीं है या धमकी नहीं दी गई है। बाल पीड़ितों के मामले में अधिक सावधानी

बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शपथ दिलाने की आवश्यकता हो सकती है तथा बयान देने की क्षमता का आकलन किया जा सकता है, जो बयान में परिलक्षित होता है। इससे भी सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षण के समय जब बयान को साक्षी के समक्ष तथा कभी-कभी स्वयं दंडाधिकारी के समक्ष रखा जाता है, तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता तथा संबंधित विचारण न्यायालय के न्यायाधीश, साक्ष्य के रूप में बयान के महत्व तथा अभियुक्त द्वारा किए गए बचाव को प्रभावी ढंग से समझ सकें। प्रश्न उपरोक्त उद्देश्यों के लिए पूछे जाते हैं।

31. दं.प्र.सं. की धारा 164(5क) के अंतर्गत पीड़िता द्वारा दिया गया बयान केवल साक्ष्य की भूमिका से कहीं आगे निकल जाता है; यह इस बात का परिसाक्ष्य है कि अभियुक्त के गलत कार्यों के कारण पीड़िता को कितनी गहरी पीड़ा झेलनी पड़ी है। यह एक भावनात्मक मुक्ति भी है, जो उसको हुए गहरे दर्द और पीड़ा को उजागर करती है - एक कष्टदायक अनुभव है जो उसकी आशाओं और सपनों को टूटते हुए देखने और न्याय पाने की आशा के समान है। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान में दर्ज शब्दों से पीड़िता ने न केवल तात्कालिक शारीरिक क्षति का उल्लेख किया है, बल्कि अपनी गरिमा और आत्मसम्मान पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव को भी व्यक्त किया है।

32. इस प्रकार ऐसे बयानों को दर्ज करते समय न्यायालयों की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है, और यह कार्य पीड़ित के प्रति गहरी संवेदनशीलता तथा दांडिक न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पेशेवरता के साथ किया जाना चाहिए।

33. यौन उत्पीड़न के मामले में दं.प्र.सं. धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करना दंडाधिकारी का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि दर्ज किए गए बयान भी मामले के निर्माण का भाग बन जाते हैं। पीड़िता के प्रारंभिक परीक्षण से उसकी योग्यता, बुद्धिमत्ता, किसी दबाव में न होने तथा स्थानीय भाषा समझने की उसकी क्षमता का पता लगाया जाता है।

यौन उत्पीड़न पीड़ितों के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के संबंध में दिशा-निर्देश

34. इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करना महत्वपूर्ण समझता है, जिनका पालन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की पीड़िता के बयान दर्ज करते समय विद्वान दंडाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए:

1. यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयानों को विवेकहीन या पहले से टंकित *प्रारूप* में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

2. **जाँच अधिकारी को पीड़िता को** यथाशीघ्र विद्वान दंडाधिकारी के **समक्ष पेश करना होगा। उक्त प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट कक्ष या कमरे में** बयान दर्ज करने से पहले, जाँच अधिकारी पीड़िता की **पहचान करेगा** और दंडाधिकारी द्वारा बनाए गए अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा कि जाँच अधिकारी ने साक्षी सुश्री 'एम' को पेश किया है, जिसकी पहचान उसने की है और उस कक्ष/कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया है, जहाँ बयान दर्ज किया जाना था। **दंडाधिकारी को यह दर्ज करना होगा कि जाँच अधिकारी पहचान के बाद कक्ष/कमरे से बाहर चला गया था।**

3. दंडाधिकारी को पीड़ित के साथ **बातचीत करनी चाहिए** तथा प्रारंभिक जाँच के लिए **उसकी आयु और शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार उपयुक्त प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि पीड़िता की गवाही देने और तर्कसंगत उत्तर देने की क्षमता का आकलन किया जा सके।**

4. पूछे जाने वाले प्रश्नों में **पीड़ित की मनःस्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए**, जैसे कि क्या वह अपने आस-पास के वातावरण के बारे में जागरूक है, बयान देने का उद्देश्य क्या है तथा वह किसके समक्ष और क्यों बयान दे रहा/रही है।

5. जहाँ तक संभव हो, पूछे गए प्रश्नों में यह भी प्रतिबिंबित होना चाहिए कि बयान बिना किसी धमकी, दबाव, भय, प्रभाव, जबरदस्ती या बिना सिखाए-पढ़ाए, **स्वेच्छा से दिया जा रहा है।**

6. **बाल पीड़ितों** के मामले में, दंडाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह **शपथ की पवित्रता** को समझता/ती है, तथा कम आयु के पीड़ितों के मामले में, शपथ दिलाने से अभिमुक्ति दी जाएगी।

7. **प्रारंभिक जाँच और बयान स्थानीय भाषा में होने चाहिए तथा पहले से टंकित *प्रारूप* में नहीं होने चाहिए**, क्योंकि सभी मामले एक जैसे नहीं होते हैं, तथा सभी पीड़ितों की बुद्धि, समझने की क्षमता या सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का स्तर समान नहीं हो सकता है।

8. **पीड़ित द्वारा प्रयुक्त शब्दों और भाषा को बयान में शब्दशः लिखा जाना चाहिए**, तथा पीड़ित द्वारा बताए गए यौन उत्पीड़न के कृत्य को यथावत लिखा जाना चाहिए, न कि 'गलत कृत्य' लिखा जाना चाहिए, जो विचारण के समय प्रतिवाद का विषय बन जाता है।

9. **पूछे जाने वाले प्रश्न प्रत्येक मामले और पीड़ित के अनुसार विरचित किए जाने चाहिए।** विद्वान दंडाधिकारी प्रश्न पूछने और प्रारंभिक जाँच के बाद यह दर्ज कर सकता है कि *"पीड़ित सहज है, निष्पक्ष है और प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। वर्तमान में उसकी आयु लगभग __ वर्ष है और उसके साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत के बाद, पीड़ित मुखर प्रतीत होता/ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित अपना बयान स्वेच्छा से और बिना किसी धमकी, दबाव, भय, प्रभाव, जबरदस्ती या निर्देश के दे रहा/रही है।"*

10. दंडाधिकारी को **दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान के अंत में एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा** कि बयान स्वेच्छा से दिया गया है और यह पीड़ित द्वारा दिया गया सही और सटीक बयान है तथा **इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है।**

11. बयान के अंत में प्रमाण पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि **बयान पीड़ित को पढ़कर सुनाया गया तथा समझाया गया** तथा पीड़ित ने इसकी सत्यता के प्रमाण के रूप में अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।

12. **हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**, जैसा भी मामला हो, चैम्बर/कमरे के अंदर और दंडाधिकारी की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए।

13. यदि बयान को किसी आशुलिपिक या दुभाषिए द्वारा टंकित किया गया है, जो कि सामान्य अभ्यास नहीं, बल्कि बयान में उल्लिखित कारणों के लिए अपवाद होना चाहिए, तो यह जोड़ा जाएगा कि बयान को विद्वान दंडाधिकारी के आदेश पर टंकित किया गया था और यह पीड़ित द्वारा दिए गए बयान की वास्तविक सामग्री है।

14. बयान को **पीड़ित द्वारा समझी जाने वाली भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए** और बयान में यह बात प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

35. **न्यायपालिका, लोकतांत्रिक भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते, हमेशा सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करती है और अधिक गतिशील और पेशेवर न्यायपालिका के लिए निरंतर न्यायिक शिक्षा की आवश्यकता इस दिशा में एक कदम है।**

36. दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (शैक्षणिक) से अनुरोध है कि वे दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान दर्ज करते

समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और महत्व के बारे में विद्वान दंडाधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करें।

<u>दूसरी न्यायिक त्रुटि</u>

37. इस मामले में एक और न्यायिक त्रुटि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा की गई। अभियुक्त श्री मकसूद की अंतरिम जमानत याचिका का न्यायनिर्णयन करते समय मामले के कुछ तथ्यों का गलत उल्लेख किया गया था, तथा वे प्राथमिकी की विषय-वस्तु के बिल्कुल विपरीत और काल्पनिक थे। इस संबंध में, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.11.2022 के आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:

> ".....संक्षेप में, प्राथमिकी की विषय-वस्तु के अनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि **परिवादी, जो एक विधवा** और दिव्यांग महिला है, अपने बच्चों के साथ रहती है और वह आवेदक/अभियुक्त को अपने **मृत पति के मित्र** होने के कारण लंबे समय से जानती है। 24.09.2022 को शाम करीब 6 बजे आवेदक/अभियुक्त उसके घर आया और उसके कहने पर उसने खाना बनाया..."

38. यह न्यायालय इस बात को इंगित करने के लिए विवश है, क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रतिवाद यह है कि विद्वान न्यायाधीश ने गलत तथ्यों के आधार पर जमानत प्रदान की, जो पूर्णतः काल्पनिक थे और यदि न्यायाधीश ने सही तथ्य दर्ज किए होते तो जमानत खारिज की जाती और अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं उठा पाता कि सत्र न्यायालय ने भी उसे समझौते के आधार पर जमानत प्रदान की है। इस न्यायालय ने

उल्लेख किया कि प्राथमिकी में अभियोक्त्री द्वारा दिए गए इस कथन के विपरीत कि वह विवाह-विच्छेदित थी, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त आदेश में दर्ज किया था कि अभियोक्त्री विधवा थी और अभियुक्त उसके मृत पति का पुराना मित्र था।

39. इसके अतिरिक्त, विद्वान सत्र न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देने में विफल रहा कि अभियोक्त्री का पहला पति जीवित था, और इसके बजाय अभियुक्त द्वारा अभिलेख पर अपने अंतरिम जमानत आवेदन के साथ दिनांक 18.04.2012 का एक समझौता दर्ज किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पहले भी, अभियुक्त और अभियोक्त्री एक दूसरे से विवाह करने के बाद लंबे समय तक एक साथ रह चुके थे, और अभियोक्त्री का पति जीवित था और दिल्ली में काम कर रहा था और अभियोक्त्री उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, हालाँकि वह उसकी और बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार था। यदि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही तथ्यों पर ध्यान दिया होता तो विवाह की वास्तविकता, जिसके आधार पर अभियुक्त को अंतरिम जमानत दी गई थी, उजागर हो जाती। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की होती कि दोनों पक्षकारगण का विवाह वैध नहीं हो सकता था तथा अभियोक्त्री के विवाह-विच्छेद का कोई दस्तावेज अभिलेख पर मौजूद नहीं था। इस संबंध में विस्तृत टिप्पणियाँ आगामी पैराग्राफों में दर्ज की गई हैं।

<u>प्रेम, विधि, झूठ और मुकदमेबाजी</u>

40. इस मामले की कहानी कथित तौर पर सुश्री एम और श्री मकसूद के **प्रेम** से शुरू हुई, जिसके कारण श्री मकसूद को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जहाँ उसका सामना **विधि** की कार्यवाहियों से हुआ, और फिर यह कहानी पुलिस अधिकारियों और न्यायालयों के समक्ष सुश्री एम और श्री मकसूद के आपसी **झूठ** पर आगे बढ़ी और वर्तमान **मुकदमेबाजी** पर समाप्त हुई।

41. इन झूठों को अगले पैराग्राफ में उजागर किया गया है।

2012 में निष्पादित किया गया कथित समझौता विलेख

42. इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह है कि विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन की सुनवाई के समय श्री मकसूद की ओर से की गई प्रस्तुतियों से यह बात सामने आई है कि वह और अभियोक्त्री सुश्री 'एम' 2007 से 2012 की अवधि के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उन्होंने एक समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए और कुछ महीनों के लिए एक-दूसरे से अलग हो गए।

43. अपनी प्रस्तुति को संपुष्ट करने के लिए, श्री मकसूद ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.04.2012 को श्री मकसूद और सुश्री 'एम' के बीच निष्पादित कथित समझौता विलेख की एक प्रति भी अभिलेख पर प्रस्तुत की थी। इस न्यायालय ने उक्त विलेख की विषय-वस्तु का अध्ययन किया है, और दिलचस्प बात यह है कि समझौता विलेख से पता चलता है कि श्री

मकसूद ने पहले भी सुश्री 'एम' से विवाह किया था, और सुश्री 'एम' ने अपने पति से विवाह-विच्छेद नहीं किया था। विलेख में दर्ज है कि सुश्री 'एम' श्री 'पी' से चौदह वर्षों तक विवाहित थी और उनके विवाह से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। आगे यह भी अभिलिखित किया गया कि श्री पी 2007 में मद्रास गया था, जिसके बाद सुश्री 'एम' ने श्री मकसूद के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद, सुश्री 'एम' और श्री मकसूद के बीच विवाह संपन्न हो गया, जबकि सुश्री 'एम' ने श्री मकसूद को अपने पहले विवाह के तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया था और न ही इस तथ्य का कि उसने अपने पति श्री पी से विवाह-विच्छेद नहीं किया था। समझौता विलेख में आगे उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षकारगण अर्थात् सुश्री 'एम' और श्री मकसूद ने अंततः मामले को निपटाने का निर्णय किया और श्री मकसूद ने सुश्री 'एम' को पचास हजार रुपये नकद दिए थे।

अभियोक्त्री की ओर से दुर्भावना

44. इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने अभियुक्त श्री मकसूद के विरुद्ध 18.10.2022 को वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालाँकि बाद में न्यायालयों के समक्ष उजागर किया गया कि श्री मकसूद और सुश्री एम ने 28.10.2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था, लेकिन अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने पुलिस या न्यायालय को इसके बारे में सूचित नहीं किया था।

45. अभिलेखों से पता चलता है कि सुश्री एम श्री मकसूद की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के समय 05.11.2022 को विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित थी, लेकिन उसने न्यायालय को यह सूचित नहीं किया था कि वे एक सप्ताह पहले ही अर्थात् 28.10.2022 को एक-दूसरे से विवाह कर चुके थे। विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 05.11.2022 के आदेश के अंतर्गत श्री मकसूद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

46. इस न्यायालय ने 06.11.2022 और 17.11.2022 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज सुश्री एम के पूरक बयानों का भी परिशीलन किया है, जिसमें उसने प्राथमिकी में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया था। हालाँकि, उक्त तिथियों पर भी सुश्री 'एम' ने पुलिस को यह सूचित नहीं किया था कि उसका विवाह 28.10.2022 को अभियुक्त से हो चुका है।

47. यह विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.11.2022 का आदेश है, जो यह उजागर करता है कि सुश्री एम ने तब पहली बार न्यायालय को अपने धर्म संपरिवर्तन और 28.10.2022 को श्री मकसूद से विवाह करने के तथ्य के बारे में सूचित किया था, साथ ही इस तथ्य के बारे में भी बताया था कि उसने 05.11.2022 को उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय के समय इसका प्रकटीकरण नहीं किया था, जबकि वह पहले से ही उससे विवाहित थी।

48. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि यद्यपि सुश्री एम ने अपना धर्म संपरिवर्तित करने के बाद श्री मकसूद से विवाह कर लिया था, जैसा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के दस दिन बाद इस न्यायालय के समक्ष दावा किया गया था, तथापि सुश्री 'एम' ने पुलिस के साथ-साथ न्यायालयों को भी अपने विवाह के तथ्य के बारे में सूचित न करके गुमराह किया था।

49. 20.12.2022 को कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया, जब अभियुक्त की अंतरिम जमानत याचिका के विस्तार की सुनवाई के दौरान, सुश्री 'एम' ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उसने श्री मकसूद के विरुद्ध एक झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी, और उसने श्री मकसूद की अग्रिम जमानत के निर्णय के समय न्यायालय को यह सूचित नहीं करके गुमराह किया था कि वह पहले ही उससे विवाह कर चुकी है।

50. इस संबंध में, यह न्यायालय विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.12.2022 के आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण समझता है:

> "...हालाँकि, न्यायालय में उपस्थित परिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उसने किसी गलतफहमी के कारण और कुछ लोगों द्वारा गुमराह किए जाने पर आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामला प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आगे कहा है कि आवेदक/अभियुक्त ने उसके धर्म संपरिवर्तन के बाद 28.10.2022 को उसके साथ विवाह कर लिया है, तथापि, आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय के समय उसके द्वारा उक्त तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

> उसने आगे बयान दिया कि उसने आवेदक/अभियुक्त के साथ मिलकर 19.12.2022 को डायरी सं. 2076373/22 के अंतर्गत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही एक अभिखंडन याचिका दायर कर दी है। इसके अतिरिक्त, यदि वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है..."

51. फिर से दिनांक 25.02.2023 को, अर्थात् श्री मकसूद के नियमित जमानत आवेदन के निर्णय के समय, अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि उसने श्री मकसूद को वर्तमान प्राथमिकी में झूठा फँसाया है और उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसके लिए दिनांक 25.02.2023 के आदेश का संदर्भ लिया जा सकता है:

> "पूछे जाने पर पीड़िता/अभियोक्त्री ने प्रस्तुत किया कि गलत सलाह पर उसने अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया था और अब वह वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।"

52. इस प्रकार पुलिस जाँच और न्यायिक कार्यवाहियों के प्रत्येक चरण में अभियोक्त्री/प्रत्यर्थी सं. 2 ने प्राधिकारियों और न्यायालयों को गुमराह किया तथा वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई।

अभियुक्त द्वारा प्राधिकारियों के समक्ष सही तथ्य उजागर न करना

53. इसी तरह, अभियुक्त का आचरण भी उल्लेखनीय है।

54. जैसा कि अभिलेखों से पता चला है, हालाँकि इस मामले में प्राथमिकी 18.10.2022 को दर्ज की गई थी और पक्षकारगण ने 28.10.2022 को विवाह

कर लिया था, लेकिन विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करते समय अभियुक्त ने न तो न्यायालय को उसके और अभियोक्त्री के बीच विवाह के तथ्य के बारे में सूचित किया था, जबकि अभियोक्त्री ने उक्त विवाह के उद्देश्य से अपना धर्म संपरिवर्तित कर लिया था, न ही उसने न्यायालय को वर्ष 2012 में किसी समझौता विलेख के निष्पादन के बारे में सूचित किया था।

55. दिनांक 23.11.2022 को अंतरिम जमानत आवेदन की सुनवाई के समय ही अभियुक्त ने विद्वान सत्र न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया था।

<u>न्यायिक प्रणाली के पास निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से पहुँचने वाले पक्षकारगण का महत्व</u>

56. एक व्यक्ति को ईमानदारी और सच्चे तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए न्यायालय के पास जाने की आवश्यकता होती है, तथा इस मूलभूत सिद्धांत पर बल दिया जाता है कि न्याय चाहने वाले को न्यायालय के समक्ष न्यायपूर्ण ढंग से उपस्थित होना चाहिए।

57. पक्षकारगण द्वारा न्यायालयों में न्यायपूर्ण ढंग से जाने के मूलभूत सिद्धांत का पालन करने में विफल रहने की यह आवर्ती प्रवृत्ति, विधिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के प्रयासों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न करती है।

न्यायालय विधि के अनुप्रयोग द्वारा सूचित विधिक निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना पर भरोसा करते हैं, और तथ्यों को जानबूझकर दबाना या गलत ढंग से प्रस्तुत करना निश्चित रूप से निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय देने में बाधा बनता है।

58. यह सिद्धांत कि समानता चाहने वालों को समानता करनी चाहिए और निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण ढंग से सामने आना चाहिए, विधिक कार्यवाही में पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है। यह केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व है जिसे कक्षीकारगण को पूरा करना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण ढंग से से जाने का कर्तव्य विधिक दायरे से परे है; यह एक नैतिक दायित्व है जो न्याय-प्राप्ति की प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करता है।

59. ऐसे कृत्यों के जवाब में, न्यायालयों ने लगातार और स्पष्ट रूप से कहा है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना और अपना मामला प्रस्तुत करने में स्पष्टता का अभाव राहत से इनकार का कारण बन सकता है। यह किसी भी पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। निष्पक्षता तथा न्यायपूर्णता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय का समय और संसाधन तथ्यों की पूर्ण और सटीक समझ के आधार पर विवादों को सुलझाने के लिए समर्पित है।

ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि सुश्री एम ने श्री पी से विवाह-विच्छेद कर लिया था और इस प्रकार वह इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी अभियुक्त के साथ विवाह करने में सक्षम थी

60. वर्तमान मामले में अभियोक्त्री सुश्री 'एम' ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में कहा था कि वह एक विवाह-विच्छेदित महिला है, तथा अभियुक्त उसके पूर्व पति का मित्र है। वर्तमान प्राथमिकी दर्ज होने के दस दिन बाद, सुश्री एम और श्री मकसूद ने मुस्लिम रीति-रिवाजों और अधिकारों के अनुसार एक-दूसरे से विवाह कर लिया, तथा विवाह संपन्न कराने के लिए सुश्री 'एम' ने विवाह संपन्न कराने से ठीक पहले उसी दिन अपना धर्म संपरिवर्तित करके इस्लाम धर्म अपना लिया था।

61. हालाँकि, यह न्यायालय उल्लेख करता है कि इस मामले में जाँच अधिकारी ने 01.11.2022 को अभियोक्त्री पक्ष को उसके पहले पति श्री पी से किए गए विवाह-विच्छेद के संबंध में दस्तावेज पेश करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। हालाँकि, सुश्री एम यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही कि उसका अपने पिछले पति से विधिवत विवाह-विच्छेद हो चुका है, ताकि वह विधि के अनुसार दूसरा विवाह करने में सक्षम हो सके, तथा यह सुनिश्चित हो सके कि यह दूसरा विवाह द्विविवाह नहीं था। यह अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि वह इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की उस

याचिका का समर्थन करते हुए उपस्थित हुई जिसमें उनके बीच हुए विवाह के आधार पर प्राथमिकी को अभिखंडित करने की माँग की गई थी।

62. इसलिए, सुश्री 'एम' द्वारा न तो कोई दस्तावेज जाँच अधिकारी को सौंपा गया है और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चले कि उसने अपने पिछले पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और वह अभियुक्त श्री मकसूद या किसी अन्य व्यक्ति के साथ विधिक रूप से वैध विवाह करने के लिए सक्षम है।

63. इस मामले में यह पहलू और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 18.04.2012 के समझौता विलेख की विषय-वस्तु से यह भी पता चलता है कि सुश्री एम और श्री मकसूद पहले भी एक दूसरे से विवाह कर चुके थे, हालाँकि सुश्री एम अभी भी अपने पति श्री पी की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी और हिंदू थी और श्री मकसूद इस्लाम का पालन करते थे।

<u>केवल विवाह के प्रयोजन से किए गए धर्म संपरिवर्तनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय की चिंताएँ</u>

भारत में न्यायालयों ने किसी भी धर्म का पालन करने के लिए व्यक्ति की पसंद की धार्मिक पवित्रता को निष्ठापूर्वक ढंग से निर्देशित किया है

64. **यद्यपि भारत में धार्मिक संपरिवर्तनों पर विधिक सीमाएँ कुछ राज्य विधानों के माध्यम से स्पष्ट हो गई हैं, फिर भी किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की मूल भावना हमारे देश के संविधान में निहित है।**

65. **पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए कि न्यायालय कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने या न करने के रास्ते में नहीं आए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में इसका सम्मान और गारंटी दी गई है।**

66. **इस मामले में धर्म संपरिवर्तन के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता थी, क्योंकि याचिकाकर्ता और परिवादी के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा ज़ोरदार ढंग से और बार-बार तर्क दिया गया था कि अभियोक्त्री का धर्म संपरिवर्तन और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ विवाह, उनके पक्ष में मामले को अभिखंडित करने के लिए एक मज़बूत मामला बनाता है। चूँकि इस न्यायालय को वर्तमान मामले पर निर्णय देने के लिए इस तर्क पर विस्तार से विचार करना है, इसलिए इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।**

67. इस संबंध में, यह न्यायालय इस बात पर असंतोष और खेद व्यक्त करता है कि अभियोक्त्री/प्रत्यर्थी सं. 2, जिसने यौन उत्पीड़न के आरोप में याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उससे विवाह कर लिया। **तथ्यों**

और जाँच से प्रेम, झूठ, विधि और मुकदमेबाजी की कहानी सामने आई, क्योंकि यह पता चला कि वर्ष 2012 में ही याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री, जो पहले से ही अलग-अलग भागीदारों से विवाहित थे, ने एक-दूसरे से विवाह कर लिया था। याचिकाकर्ता अपनी निजी विधि के अनुसार दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन वह अभियोक्त्री/प्रत्यर्थी सं. 2, जो हिंदू थी, से विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पति जीवित था और वह विवाह-विच्छेदित नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त समझौता विलेख, जिस पर प्रत्यर्थी सं. 2 ने कोई विवाद नहीं किया है, में याचिकाकर्ता का नाम श्री मकसूद उर्फ मनोज लिखा है तथा दोनों के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद विवाह करने का तथ्य भी दर्ज है, जो उनके बीच समझौता था, जिसे याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले कार्यवाही के किसी भी स्तर पर पुलिस या सत्र न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

68. कार्यवाही और जाँच से यह भी पता चला है कि दोनों पक्षकारगण ने पुलिस, धार्मिक या न्यायिक अधिकारियों से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से संपर्क नहीं किया। प्रत्यर्थी सं. 2 ने वर्ष 2012 के समझौते में उल्लेख किया है कि वह याचिकाकर्ता से विवाहित है, हालाँकि उसका पति श्री पी जीवित है और वह उसकी तथा उसके पति श्री पी के साथ विवाह से पैदा हुए बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार है। आज तक, वह अपने पहले पति से विवाह-विच्छेद से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहे जाने के बाद भी, इस

न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या जाँच अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी है।

69. **विवाह का समय भी महत्वपूर्ण है** जिसे अभिखंडन याचिका का आधार बनाया जा रहा है। यह विवाह वर्ष 2022 में उसके धर्म परिवर्तन की उसी तिथि, अर्थात् प्राथमिकी दर्ज होने के दस दिन बाद हुआ था।

70. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद धर्म संपरिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न हुई, क्योंकि अभियुक्त अपनी पहली पत्नी से विवाह-विच्छेद किए बिना तथा अभियोक्त्री के अपने पति से विवाह-विच्छेद किए बिना विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अभियोक्त्री से विवाह नहीं कर सकता था। अभियोक्त्री, किसी भी मामले में एकपतित्व की विधि द्वारा शासित होने के कारण, चाहे वह हिंदू हो या इस्लाम में धर्म संपरिवर्तन के बाद, अपने पहले पति से विवाह-विच्छेद किए बिना अभियुक्त से विवाह नहीं कर सकती थी, जिसके लिए उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसके विपरीत एक दस्तावेज मौजूद है।

71. **न्यायालय की चिंता इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ केवल विवाह और विधि से बचने के प्रयोजन से एक या दूसरे धर्म में धर्म संपरिवर्तन ने इस न्यायालय की न्यायिक अंतश्चेतना को गहराई से परेशान किया है। इससे भी अधिक, क्योंकि कई मामलों में, भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी को अभिखंडित करने की माँग**

अभियुक्त और पीड़ित के बीच धर्म संपरिवर्तन और विवाह के आधार पर की जाती है, जिसके बाद प्राथमिकी अभिखंडित होने के बाद पीड़ित का विवाह-विच्छेद हो जाता है या उसे त्याग दिया जाता है।

72. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच विवाह *प्रथम दृष्टया* वैध नहीं है, तथापि, अभियुक्त ने उसे *निकाहनामा* के आधार पर इसकी वैधता का आश्वासन दिया है। उसने और संभवतः अभियुक्त ने यह मान लिया था कि अभियोक्त्री के धर्म संपरिवर्तन के कारण वे विधिक रूप से विवाहित हैं, हालाँकि, ऐसा नहीं है। अतः, उनका यह प्रतिवाद कि चूँकि अब वे विवाहित हैं, इसलिए प्राथमिकी अभिखंडित कर दी जाए, गुणागुण रहित है।

73. इस प्रकार, इस स्थिति में, ऐसे धर्म संपरिवर्तनों और विवाहों को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न होती है। कई बार धर्म संपरिवर्तन केवल अंतर-धार्मिक विवाहों को सुगम बनाने के प्रयोजन से किया जाता है, धर्म कोई भी हो सकता है और यह आदेश किसी एक या विशिष्ट धर्म या एक लिंग के धर्म संपरिवर्तन का उल्लेख नहीं कर रहा है।

74. दुर्भाग्यवश प्रत्यर्थी सं. 2 अशिक्षित है और केवल हिन्दी में ही हस्ताक्षर कर सकती है। वह उर्दू नहीं जानती और विवाह प्रमाणपत्र अर्थात् *निकाहनामा* में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि *निकाहनामा* या धर्म संपरिवर्तन प्रमाणपत्र, जो उर्दू में है, की विषय-वस्तु उसे समझाई गई थी। जाँच अधिकारी के अनुसार कार्यालय अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिसमें

दोनों पक्षकारगण के बीच बातचीत व निकाह की बात कही गई हो। जाँच अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि जाँच के दौरान तीस हजारी न्यायालय के पीछे स्थित एक कार्यालय में केवल अभियोक्त्री और अभियुक्त का पहचान पत्र ही उपलब्ध था, जहाँ धर्म संपरिवर्तन और *निकाह* हुआ था।

75. जब प्रत्यर्थी सं. 2 इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई, तो न्यायालय के साथ बातचीत के दौरान उसने अपना नाम 'एक्स' बताया, जो कि धर्म संपरिवर्तन के बाद उसका नाम नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 2 से जब उसका नाम पूछा गया तो वह अपना नाम नहीं बता सकी, जो अभिलेख में दर्ज धर्म संपरिवर्तन प्रमाण पत्र के अनुसार उसे इस्लाम धर्म अपनाने के बाद दिया गया था। वह अपना मूल नाम ही इस्तेमाल कर रही थी, हालाँकि, न्यायालय में याचिकाकर्ता ने उसे अपना नाम 'बी' बताने के लिए कहा। याचिकाकर्ता लगातार उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के बारे में संकेत दे रहा था। उसे ऐसा न करने के लिए कहा गया।

76. कैमरे के सामने हुई कार्यवाही के दौरान, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अति.स्था.अधि. तथा जाँच अधिकारी की उपस्थिति में, अभियोक्त्री ने न्यायालय के साथ हुई बातचीत में बयान दिया कि धर्म संपरिवर्तन के समय उसे केवल यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता से विवाह करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा और केवल इसी प्रयोजन से उसने धर्म संपरिवर्तन किया था। उसे केवल इतना बताया गया कि उसे दिन में

पाँच बार *नमाज़* अदा करनी होगी, इसके अतिरिक्त उसे यह नहीं बताया गया कि उसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए तथा उसके अधिकार, जो उसे अब तक एक हिंदू के रूप में वैवाहिक संघ में प्राप्त थे, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उपलब्ध नहीं होंगे। उसे भरण-पोषण या मेहर से संबंधित विधि सहित किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। उसे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन धर्म संपरिवर्तन प्रमाण पत्र के साथ-साथ विवाह प्रमाण पत्र और *निकाहनामा* भी उर्दू में थे। जाँच अधिकारी क़ाज़ी का पता लगाने में असमर्थ रहा, जिसने दोनों पक्षकारगण का विवाह एक ऐसे स्थान पर कराया था जो एक कार्यालय है न कि धार्मिक स्थान। उक्त कार्यालय के पास पहचान पत्र के अतिरिक्त पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज नहीं था, यद्यपि पक्षकारगण ने बयान दिया कि उन्होंने कुछ दस्तावेज उस व्यक्ति को सौंपे थे जिसने उनका विवाह संपन्न कराया था। **यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्त के पहले विवाह का तथ्य अभियोक्त्री को ज्ञात था और अभियोक्त्री के पहले विवाह का तथ्य अभियुक्त को ज्ञात था, तथापि, दोनों ने क़ाज़ी को गुमराह किया था।** संक्षेप में, अभियोक्त्री को श्री मकसूद से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने की बाधा पार करनी पड़ी, जो कि अभियुक्त द्वारा रखी गई शर्तों में से एक थी। उसने बयान दिया कि उसने केवल उससे विवाह करने के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन किया था।

77. **बिना जानकारी के किसी अन्य धर्म में धर्म संपरिवर्तन करने से व्यक्ति को धर्म संपरिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है, तथा इसका**

परिणाम यह होगा कि यदि जिस धर्म में वह संपरिवर्तन कर रहा है, वह ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है, तो अब वह व्यक्ति अपने पुराने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब उनके अपने धर्म में वापस लौटने से विधिक, वैवाहिक, उत्तराधिकार और अभिरक्षा से संबंधित परिणाम सामने आ सकते हैं। यह न्यायालय केवल ऐसी स्थितियों के लिए चिंतित है। ये स्थितियाँ किसी भी धर्म में संपरिवर्तन से उत्पन्न हो सकती हैं।

78. वर्तमान मामले में, धर्म संपरिवर्तन अभियोक्त्री की स्वयं की सहमति से हुआ है और इस न्यायालय के पास इस पर कोई आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं है, न ही न्यायालय ऐसा करने के लिए अधिकृत है, लेकिन इस प्रकार के धर्म संपरिवर्तन का प्रयोजन केवल याचिकाकर्ता से विवाह करना है, न कि धर्म का पालन करना और इसके परिणामों को समझे बिना किया गया धर्म संपरिवर्तन भविष्य में उनके जीवन को और अधिक जटिल बना सकता है, जो किसी भी धर्म या धर्म संपरिवर्तन का उद्देश्य नहीं है।

79. यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित व्यक्ति अर्थात् क़ाज़ी को धर्म संपरिवर्तन के लिए अधिकृत किया गया था या नहीं, क्योंकि संबंधित जाँच अधिकारी उसे उस स्थान पर नहीं ढूँढ पाया जहाँ धर्म संपरिवर्तन और निकाह हुआ था। दोनों पक्षकारगण द्वारा तथ्यों को दबाकर क़ाज़ी को गुमराह किया गया और यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जान सका कि विवाह संपन्न नहीं हो सकता था, न

ही वह यह जान सका कि अभियोक्त्री महिला अपने धर्म के प्रति आस्था के कारण नहीं, बल्कि अभियुक्त, जो पहले से ही विवाहित था, के प्रति प्रेम के कारण धर्म संपरिवर्तन कर रही थी।

80. इन परिस्थितियों में, चूँकि यह न्यायालय कोई विधि नहीं बना सकता है और न ही ऐसा करने का आशय रखता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के प्रतिबंधों और परिणामों से चिंतित होने के कारण, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर, केवल विवाह करने के प्रयोजनार्थ धर्म संपरिवर्तन के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म में हो, कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करना उचित समझता है।

<u>केवल अंतर-धार्मिक विवाहों के अनुष्ठान के प्रयोजन से धार्मिक संपरिवर्तनों में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहलू</u>

1. सूचित सहमति और समझ:

81. विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति की सूचित सहमति और व्यापक समझ सुनिश्चित की जाए। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन का निर्णय ले, तथा जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय में निहित बहुआयामी निहितार्थों के बारे में पूरी तरह से अवगत हो।

82. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को उसके चुने हुए धर्म से जुड़े धार्मिक सिद्धांतों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना और सूचित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें धार्मिक संपरिवर्तन में निहित सिद्धांतों, अनुष्ठानों और सामाजिक अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के संपरिवर्तन के लिए सहमति एक सूचित सहमति है, जो ऐसी कार्रवाई के परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद दी गई है।

2. मूल भाषा में संवाद:

83. जब कोई व्यक्ति विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन करने का निर्णय लेता है, तो उसके लिए इस प्रक्रिया की जटिलताओं को पूरी तरह से समझना आवश्यक है, और इसके लिए प्रभावी संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

84. अनिवार्यतः, संचार प्रक्रिया को संबंधित व्यक्ति की भाषाई प्राथमिकताओं और समझ के अनुरूप होना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी उस भाषा में प्रस्तुत की जाए जिससे वह परिचित हो और जिसमें वह कुशल हो। भाषा का चयन अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल समझ को सुगम बनाता है, बल्कि विचारों का सार्थक आदान-प्रदान भी करता है।

85. विवाह के लिए धर्म संपरिवर्तन करने के निर्णय की गंभीरता को समझते हुए, इसमें शामिल पक्षकारगण, चाहे वे धार्मिक या विधिक प्राधिकारी हों, का

यह दायित्व है कि वे इस जानकारी को सुलभ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ढंग से संप्रेषित करे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रयुक्त भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो धर्म संपरिवर्तन के धार्मिक और विधिक निहितार्थों को सीधे तौर पर बताए। यह व्यक्तियों को ऐसे संपरिवर्तन से जुड़े निहितार्थ, जिम्मेदारियों और परिणामों को समझने में सक्षम बनाता है।

86. न्यायालय इस बात पर बल देता है कि संचार को केवल भाषायी रूप से ही नहीं समझा जाना चाहिए। भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की स्पष्ट समझ को प्राथमिकता देकर, यह दिशा-निर्देश सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को उस परिवर्तनकारी यात्रा की व्यापक समझ है जिस पर वह आगे बढ़ रहा है तथा धर्म संपरिवर्तन **पूरी तरह से स्वैच्छिक है।**

3. धर्म संपरिवर्तन के विधिक निहितार्थों की व्याख्या: उत्तराधिकार और विरासत, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा, धर्म संपरिवर्तन के बाद पति या पत्नी के व्यक्तिगत विधि के अधिकार

87. विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति को ऐसे धर्म संपरिवर्तन से जुड़े विधिक परिणामों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें इस बात का व्यापक विवरण देना शामिल है कि धर्म संपरिवर्तन किस प्रकार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जिसमें विरासत के अधिकारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रेखांकित करना, तथा उत्तराधिकार, भरण-

पोषण, अभिरक्षा, विवाह-विच्छेद विधियों में होने वाले संशोधनों पर प्रकाश डालना शामिल है।

88. इस प्रकार, धर्म संपरिवर्तन के विधिक परिणामों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है, जिसमें विरासत और उत्तराधिकार के मामलों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करना, तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि व्यक्ति को इसके संभावित विधिक परिणामों की जानकारी हो। धार्मिक ढाँचे की पेचीदगियों के बारे में पारदर्शी चर्चा यह सुनिश्चित करती है कि यह महत्वपूर्ण चुनाव करने वाला व्यक्ति उस धार्मिक ढाँचे से अच्छी तरह से अवगत है जिसमें वह प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार, धर्म और उससे संबंधित परिणामों की विस्तृत समझ प्रदान करके, व्यक्ति को धर्म संपरिवर्तन के बाद उसकी विधिक स्थिति में संभावित बदलावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

89. इसका उद्देश्य धर्म संपरिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अनदेखी या जानकारी के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी विधिक जटिलता को रोकना है। यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन प्रक्रिया के धार्मिक और उससे संबंधित पहलुओं से अच्छी तरह परिचित है, सूचित निर्णय लेने में योगदान देता है।

4. अंतर-धार्मिक विवाह के प्रयोजन से धर्म संपरिवर्तन के धार्मिक दुष्परिणाम:

90. धार्मिक दुष्परिणाम का अन्वेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को धर्म संपरिवर्तन के साथ आने वाले धार्मिक मानदंडों, दायित्वों और प्रतिबंधों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट करना शामिल है कि क्या कुछ प्रथाओं, जैसे कि हिंदुओं के मामले में मूर्ति पूजा, को नए धार्मिक ढाँचे के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी या प्रतिबंधित किया जाएगा। व्यापक धार्मिक संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करने से व्यक्ति को अपने निर्णय के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों को समझने में सहायता मिलती है।

91. इसके अतिरिक्त, न्यायालय इस दिशा-निर्देश के माध्यम से धर्म संपरिवर्तन के बाद धार्मिक प्रथाओं से संबंधित किसी भी प्रतिबंध या छूट पर चर्चा करने के महत्व पर बल देता है। संभावित प्रतिबंधों को संबोधित करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को अपने धार्मिक आचरण में किसी भी प्रतिबंध या संशोधन के बारे में पूरी जानकारी है जो धर्म संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। इसके छूट पर प्रकाश डालने से व्यक्ति को अपनी नई अपनाई गई धार्मिक पहचान के ढाँचे के भीतर उन स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों की विवेचना करने में सक्षम बनाता है जिनका वे आनंद लेंगे।

5. धर्म संपरिवर्तन के बाद विवाह में वैवाहिक परिणाम:

92. इसके अतिरिक्त, संचार वैवाहिक क्षेत्र तक विस्तारित होना चाहिए, जिसमें विवाह के तरीके और उसकी समाप्ति के संभावित तरीकों जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। धर्म संपरिवर्तन के बाद वैवाहिक मिलन से जुड़े

संस्कारों, रीति-रिवाजों और दायित्वों को स्पष्ट करना और समझाना महत्वपूर्ण है। इन वैवाहिक परिणामों को संबोधित करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को अपनी वैवाहिक यात्रा में शामिल प्रतिबद्धताओं और संचालन के बारे में पूरी जानकारी है।

93. यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भागीदारों में से किसी एक को कौन से विशिष्ट व्यक्तिगत विधिक अधिकार उपलब्ध हैं और क्या वे अधिकार भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को भी उपलब्ध होंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला किसी अन्य धर्म में धर्म संपरिवर्तित हो जाती है, तो उसे यह पता होना चाहिए कि उसके पति के लिए बहुविवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा धर्म संपरिवर्तन के बाद भी उस पर एकविवाह का प्रतिबंध लागू है। यह विपरीत स्थिति में भी लागू होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह एक उदाहरण है और विवाह के प्रयोजन से किए गए किसी भी धार्मिक संपरिवर्तन पर लागू होगा।

94. इसमें चुने गए धार्मिक ढाँचे के भीतर विवाह करने में शामिल विशिष्ट प्रक्रियाओं और प्रथाओं को स्पष्ट करना शामिल होगा। चाहे इसमें धार्मिक समारोह, विधिक औपचारिकताएँ या दोनों का संयोजन शामिल हो, व्यक्ति को इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि उसका विवाह किस प्रकार सम्पन्न होगा। इसके अतिरिक्त, यह दिशा-निर्देश संभावित समाप्ति के परिदृश्यों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि

व्यक्ति को अपने धर्म के अंतर्गत विवाह को समाप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं और वैधानिकताओं के बारे में पूरी जानकारी हो।

95. इससे समझ और तैयारी की भावना सुनिश्चित होगी, जिससे भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को अपनी नई अपनाई गई धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में विवाह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

6. भावी पति-पत्नी की पहचान का सत्यापन:

96. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि जो व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन में सहायता कर रहा है, उसका यह दायित्व है कि वह सावधानीपूर्वक भावी जीवनसाथी की पहचान का सत्यापन करे। धर्म संपरिवर्तन और उसके बाद की विवाह कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

7. वैवाहिक इतिहास के लिए शपथ पत्र:

97. इसके अतिरिक्त, धर्म संपरिवर्तन के बाद विवाह समारोहों के आयोजन के दौरान, धर्म संपरिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को वैवाहिक बंधन में बंधने वाले पक्षकारगण के पिछले वैवाहिक इतिहास का विवरण देते हुए उनसे एक शपथपत्र लेना होगा। इस शपथपत्र का प्रयोजन पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा संबंधित पक्षकारगण के बीच विश्वास का माहौल बनाना है।

8. मूल धर्म की ओर लौटने की गुंजाइश:

98. भावी धर्म संपरिवर्तित को अपने मूल धर्म में पुनः धर्म संपरिवर्तन के अधिकार तथा उसके परिणामों के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए।

<u>दिशा-निर्देश</u>

99. **विधि की पुस्तकों में न्यायनिर्णायक न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं के पृष्ठों में छिपी हर स्थिति का उत्तर नहीं होगा। जब न्यायालय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे न्याय प्रणाली को निपटना होता है, तो विशिष्ट मामलों की समझ के साथ विधि के दिशा-निर्देश या अनुप्रयोग का जन्म होता है।**

100. इस प्रकार, उपरोक्त पहलुओं और टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, **इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं:**

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किए गए विवाहों के मामलों को छोड़कर, संबंधित व्यक्तियों/प्राधिकारियों द्वारा धर्म संपरिवर्तन के बाद अंतर-धार्मिक विवाह के समय **निम्नलिखित शपथ-पत्र** प्राप्त किए जाने चाहिए:

   (क) **आयु, वैवाहिक इतिहास और वैवाहिक स्थिति** के बारे में शपथ पत्र **और इस संबंध में दोनों पक्षकारगण के साक्ष्य।**

(ख) **इस बात का शपथ-पत्र कि धर्म संपरिवर्तन विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, अभिरक्षा और धार्मिक अधिकारों आदि से संबंधित निहितार्थों और परिणामों को समझने के बाद स्वेच्छा से किया जा रहा है।**

2. धर्म संपरिवर्तन प्रमाण पत्र के साथ एक **प्रमाण पत्र** संलग्न किया जाना चाहिए कि **धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को** धर्म संपरिवर्तन में निहित सिद्धांतों, अनुष्ठानों और अपेक्षाओं के साथ-साथ विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, अभिरक्षा और धार्मिक अधिकारों आदि से संबंधित निहितार्थ और परिणामों के बारे में **समझाया गया है।**

3. धर्म संपरिवर्तन और विवाह का प्रमाणपत्र भी भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली **अतिरिक्त स्थानीय भाषा** में होना चाहिए, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि उसने उसे समझ लिया है। **जहाँ भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी है, वहाँ यह हिन्दी में भी होगा, इसके अतिरिक्त ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य भाषा में भी होगा। जहाँ भावी धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य है, तो वहाँ उक्त भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।**

101. **ये दिशा-निर्देश अपने मूल धर्म में वापस आने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति पहले से ही अपने मूल धर्म से अच्छी तरह से परिचित है।**

सावधानी टिप्पण

102. **इस न्यायालय को कोई विधि बनाने या धर्म संपरिवर्तन का कोई तरीका निर्धारित करने या धर्म संपरिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाला नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन न्यायालय, देश के कार्यान्वयन संस्थान और विधि के अनुप्रयोग द्वारा विधि के शासन को सुनिश्चित करने वाले लोकतंत्र के स्तंभों में से एक होते हैं, लोकतंत्र का वह स्तंभ जो विभिन्न मामलों में तथ्यों को उजागर करने के माध्यम से ऐसी स्थितियों का पता लगाएँगे, कि क्या संसद द्वारा अधिनियमित विधियों में कोई कमी, अस्पष्टता या विधि में कोई अभाव है, जिसमें विधि में कोई कमी या असंवैधानिकता शामिल है, जिसके साथ उन लोगों द्वारा हेरफेर करने की संभावना है जो विधि की परवाह या सम्मान नहीं करते।**

103. **ये दिशा-निर्देश भोले-भाले, अशिक्षित, संवेदनशील, किशोर दम्पतियों द्वारा सुविचारित निर्णय लेने के लिए हैं, जो धर्म संपरिवर्तन के पश्चात ऐसे विवाह में प्रवेश कर जाते हैं, तथा ऐसे धर्म संपरिवर्तन के गहन परिणामों को पूरी तरह समझे बिना ही विवाह कर लेते हैं, जिसका प्रभाव तात्कालिक विवाह से कहीं**

अधिक होता है, तथा उनके व्यक्तिगत विधियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसके अनेक परिणाम होते हैं, जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में बताया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

104. **इस मामले की फाइल का प्रत्येक पृष्ठ दोनों पक्षकारगण द्वारा झूठ और हेरफेर की एक के बाद एक परत और स्तर को उजागर कर रहा था, मानो यह एक याचिका नहीं बल्कि एक हजार परतों वाली वस्तु थी जो एक के बाद एक रंग प्रकट कर रही थी।**

105. वर्तमान मामला एक जटिल परिदृश्य को प्रकाश में लाता है, **जिसमें छल का जाल फैला हुआ है, जो तात्कालिक पक्षकारगण से आगे बढ़कर धार्मिक प्राधिकारियों तक फैल गया है, यहाँ तक कि इसमें शामिल क़ाज़ी को भी धोखा दिया गया है।** इस जटिलता का मूल कारण अभियोक्त्री की वैवाहिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाना है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के ध्यान में आया कि अभियोक्त्री का अपने पहले पति से विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था, यह तथ्य उसे उसके पूर्व विवाह की उचित विधिक समाप्ति के बिना पुनर्विवाह के लिए अयोग्य बनाता है। दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रासंगिक विवरणों को जानबूझकर छिपाए रखना न केवल विधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है, बल्कि इसमें शामिल पक्षकारगण की ईमानदारी और स्पष्टवादिता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यह पेचीदगी

मामले में जटिलता की एक **परत** जोड़ती है, जहाँ पक्षकारगण ने धार्मिक प्राधिकारियों से भी झूठ बोला है।

106. **न्यायालय को** विधिक जटिलताओं में **नहीं फँसना चाहिए**, क्योंकि इससे न केवल परिवादी को बल्कि अपराधी, यदि उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया हो, को भी संरक्षण देने के सिद्धांत से भटकाव होगा, तथा साथ ही न्यायालय को न्यायिक प्रणाली की पवित्रता को किसी चालाक और दुरुपयोगी परिवादी या अभियुक्त द्वारा अतिक्रमण और हेरफेर से बचाना चाहिए।

107. दांडिक न्याय प्रणाली को धोखा देने के लिए किसी भी प्रकार की हेराफेरी को ठीक किया जाना चाहिए, और ऐसे मामले न केवल पहले से ही बोझिल न्यायालयों पर और **बोझ** डालते हैं, बल्कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज मामले में किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फँसाया गया हो, तो यह उसके चरित्र पर भी **दाग** लगाते हैं।

108. वर्तमान मामले में, यह मामला विशुद्ध प्रेम का नहीं है जो पक्षकारगण के बीच विवाह में परिणत हो गया, जो प्राथमिकी को अभिखंडित करने का आधार बन सकता था।

109. उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षकारगण के बीच संबंध विवाह से बहुत पहले से थे। प्राथमिकी विवाह से पहले ही दर्ज की गई थी। किसी अन्य धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने विश्वास को त्याग देता/देती है, बल्कि वह

अपने व्यक्तिगत विधि को भी त्याग देता/देती है, जिसके अंतर्गत वह शासित होता/होती है, और इसलिए उसे किसी भी बाहरी कारकों से प्रभावित हुए बिना, सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में धर्म संपरिवर्तन केवल याचिकाकर्ता से विवाह करने के आशय से किया गया था या नहीं। इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित अभियोक्त्री ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा उससे विवाह करने के लिए उसके समक्ष रखी गई शर्तों में से एक थी।

110. **यदि यह प्राथमिकी दर्ज नहीं होती तो शायद विवाह भी नहीं होता।** इस बात का कोई तर्क या औचित्य नहीं है कि विवाह पहले क्यों किया गई और प्राधिकारियों के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया।

निर्णय

111. **ऐसी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि अधिकार के रूप में, अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच बाद में विवाह होना, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दर्ज प्रत्येक मामले की प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए पर्याप्त आधार है।** यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन साक्ष्य, पक्षकारगण के आचरण, उनकी आयु आदि तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर सख्ती से किया जाना चाहिए।

112. मामले के संपूर्ण अभिलेखों, साथ ही इस याचिका की विषय-वस्तु का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने, तथा पिछले पैराग्राफों में की गई चर्चा पर विचार

करने, तथा निपटारे/समझौते के आधार पर प्राथमिकी को अभिखंडित करने के संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा अनेक न्यायिक उदाहरणों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करने के बाद, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

1. *अभियुक्त के विरुद्ध आरोप:* प्राथमिकी में याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोक्त्री/प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए तथा उसे इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी थी। विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज बयान में, साथ ही दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज दो पूरक बयानों में भी उसके द्वारा वही आरोप दोहराए गए थे।

2. *अभियोक्त्री की ओर से दुराचार:* अभियोक्त्री का दुराचार स्पष्ट है, क्योंकि उसने हर स्तर पर झूठ बोला तथा पुलिस के साथ-साथ न्यायालयों को भी गुमराह किया। न्यायालय ने वर्तमान मामले को अभियोक्त्री सुश्री 'एम' की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया मामला माना है, जो

प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग एक महीने बाद तक न्यायालयों और जाँच प्राधिकारियों के समक्ष अभियुक्त श्री मकसूद के साथ अपने विवाह के तथ्य का प्रकटीकरण करने में विफल रही। न्यायालय की कार्यवाहियों में उपस्थित होने और बयान दर्ज कराने के बाद भी, वह लगातार अपने धर्म संपरिवर्तन और विवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाती रही। 20.12.2022 को सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सुश्री 'एम' ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठी प्राथमिकी दर्ज करने और न्यायालयों को गुमराह करने की बात स्वीकार की। इसके बाद, 25.02.2023 को नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय के दौरान, उसने अभियुक्त के विरुद्ध आगे की कार्यवाही छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, और जाँच और न्यायालय की कार्यवाहियों के दौरान अपने असंगत और भ्रामक आचरण पर बल दिया।

3. *इसके साथ ही,* वर्ष 2012 में निष्पादित विवाह और समझौता विलेख को विद्वान सत्र न्यायालयों के समक्ष प्रकट करने में देरी को देखते हुए, अभियुक्त के आचरण पर भी प्रश्न उठते हैं। अग्रिम जमानत आवेदन के दौरान इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण करने में अभियुक्त की

विफलता उसकी ओर से पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है। इस प्रकार, यह न्यायालय उल्लेख करता है कि दोनों पक्षकारगण ने न्यायालयों से निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण ढंग से संपर्क नहीं किया है, और प्रत्येक ने भ्रम और विधिक कार्यवाहियों को जटिल बनाने में योगदान दिया है।

4. *पिछला विवाह, समझौता और अभिखंडन:* यहाँ पक्षकारगण ने केवल इस समझौते के आधार पर अभिखंडन के अपने अभिवाक् को पेश किया है कि उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया है। इस आधार पर विचार करने से पहले, इस बात पर बल देना महत्वपूर्ण है कि अभिखंडन, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आने वाले मामलों में, एक मानक अभ्यास नहीं माना जा सकता है। यदि यह न्यायालय समझौते की संभावना पर विचार भी करता है, तो उसे इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या समझौता ऐसा है और क्या यह दोनों पक्षकारगण के बीच वैवाहिक पहलू से संबंधित है, कि यह प्राथमिकी को अभिखंडित करने का प्रमाण देता है। इसमें एक गंभीर चिंता भी है - अभियोक्त्री पहले से ही अपने पहले पति से विवाहित थी। मामले की जाँच से पता चला है

कि अभियोक्त्री ने अपने पिछले पति से विवाह-विच्छेद नहीं किया है और न ही उसने कोई दस्तावेज दाखिल किया है जिससे यह साबित हो कि वह अपने पहले पति से विवाह-विच्छेदित है, हालाँकि उसने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि वह विवाह-विच्छेदित है, इस प्रकार अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच संपन्न विवाह की वैधता पर संदेह उत्पन्न होता है। एक दस्तावेज अर्थात समझौता विलेख 18.04.2022, जो अभियुक्त द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, और जिस पर अभियोक्त्री द्वारा विवाद नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि कई वर्ष पहले, अभियुक्त और अभियोक्त्री एक दूसरे से विवाह करने के बाद बहुत समय तक एक साथ रहे थे, लेकिन अभियोक्त्री और उसके पति के बीच विवाह अभी भी अस्तित्व में था और उसने कोई विवाह-विच्छेद नहीं किया था। इससे अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच विवाह की वैधता पर संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि अभिलेख से पता चलता है कि अभियोक्त्री अभी भी अपने पूर्व पति से विवाहित है, और इसलिए वह अपने पूर्व पति से विवाह-विच्छेद किए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि मुस्लिम रीति-रिवाजों

के अनुसार दिनांक 28.10.2022 को निकाहनामा के माध्यम से अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच संपन्न विवाह वैध विवाह है या नहीं, यह अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो इस स्तर पर अभी तक भी अनुत्तरित है, जिसे प्राथमिकी अभिखंडित करने का आधार बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

5. *अभियोक्त्री और अभियुक्त के विवाह की संदिग्ध परिस्थितियाँ:* यह न्यायालय भी इस तरह के विवाह को संदेह की दृष्टि से देखता है, और अभियुक्त की सद्भावना भी अस्पष्ट है, क्योंकि इस मामले में विवाह तुरन्त सम्पन्न हुआ था, अर्थात् प्राथमिकी दर्ज होने के दस दिनों के भीतर, अभियोक्त्री का धर्म संपरिवर्तित करके इस्लाम धर्म अपना लिया गया था, और इस स्तर पर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या इस मामले में धर्म संपरिवर्तन केवल अभियोक्त्री से विवाह करने के सद्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था या अभियोक्त्री को गुप्त रूप से यह दिखाने के लिए किया गया था कि अब उसका अभियुक्त से विवाह हो गया है और वे दोनों अब जमानत लेने और प्राथमिकी को

अभिखंडित करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

113. इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी महिला के विरुद्ध यौन हिंसा को सहन नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत मामले में पक्षकारगण द्वारा प्रणाली में हेरफेर करने पर भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दांडिक न्याय प्रणाली और हमारे समाज के भीतर कमियों को दूर करने और उन्हें दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

114. विद्वान विचारण न्यायालयों ने पहले ही अभियोक्त्री के बयान का संज्ञान ले लिया है। इस न्यायालय ने अभियुक्त के आचरण का भी संज्ञान लिया है। इस प्रतिवाद के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिसके आधार पर दोनों पक्षकारगण ने अभिखंडन की माँग की है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क से प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं हो सका कि विवाह के आधार पर समझौता करने का प्रतिवाद वास्तविक है या नहीं, या यह केवल प्राथमिकी को अभिखंडित करने के प्रयोजन से है। यह बात केवल सुनवाई और समय बीतने के दौरान ही स्पष्ट होगी। यदि यह साबित हो जाए कि उन्होंने न्यायालय को गुमराह किया है या शपथ पर मिथ्या साक्ष्य दिया है तो विचारण न्यायालय दोनों पक्षकारगण के विरुद्ध विधि के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

115. निस्संदेह, इस मामले में कार्यवाही की निरंतरता विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगी, बल्कि कार्यवाही को रोकना या अभिखंडित करना दोनों पक्षकारगण द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति देने के समान होगा। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

116. इस निर्णय की एक प्रति **दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (शैक्षणिक) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाने और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त** को भी भेजी जाए।

117. इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

118. निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांत शर्मा

19 जनवरी, 2023/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*